प्रेषक,　　　　　　　　　　　　　　　　　　परिपत्र संख्या– 11 प्रोबेशन–5/2019

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,
केन्द्रीय/जिला/उप कारागार, उत्तर प्रदेश।
2. वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार, लखनऊ।
3. उप महानिरीक्षक कारागार,
आगरा, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर,
प्रयागराज, अयोध्या एवं लखनऊ।

दिनांक 23 अप्रैल, 2019

विषयः– प्रदेश की कारागारों से दोषसिद्ध बन्दियों की समयपूर्व मुक्ति की सूचना अपीलीय न्यायालयों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–904/22–2–2004–25(94)/97डी0सी0, दिनांक 14 जुलाई, 2004 द्वारा निर्णय लिया गया है कि ''सिद्धदोष बन्दियों, जिनके द्वारा दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय में अपीलें दायर की गयी है तथा उनकी अपीलें लम्बित हो, उनकी लाइसेन्स पर मुक्ति हेतु उनके फार्म 'ए' तथा समयपूर्व मुक्ति हेतु नामिनल रोल पर भी विचार किया जायेगा।

प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व मुक्ति शासन द्वारा निर्धारित प्रकियाओं यथा–फार्म 'ए', नामिनल रोल, इनफरमिटी रोल, दयायाचिका एवं स्थाई नीति के अन्तर्गत की जाती है। ऐसे सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व मुक्ति आदेश निर्गत होने के उपरान्त नियमानुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर सम्बन्धित कारागारों द्वारा समयपूर्व मुक्त किया जाता है। इसमें ऐसे सिद्धदोष बन्दी भी होते हैं, जिनकी दण्ड के विरूद्ध अपीलें मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय में लम्बित भी होती हैं।

आपको निर्देशित किया जाता है कि सिद्धदोष बन्दियों की फार्म 'ए', नामिनल रोल, इनफरमिटी रोल, दयायाचिका एवं स्थाई नीति आदि व्यवस्थाओं के अन्तर्गत शासन से समयपूर्व मुक्ति आदेश निर्गत होने पर सम्बन्धित कारागार द्वारा बन्दियों की समयपूर्व मुक्ति करने के साथ–साथ, ऐसे बन्दियों, जिनकी दण्ड के विरूद्ध अपील किसी भी मा0 न्यायालय में लम्बित है, तो सम्बन्धित मा0 न्यायालय को बन्दी की समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में सूचना न्यायालय के रजिस्ट्रार के माध्यम से देते हुए सम्बन्धित बन्दी की अपील पत्रावली में सम्मिलित कराने हेतु प्रेषित कर दी जाए, ताकि सम्बन्धित मा0 न्यायालय द्वारा अपील निस्तारण के समय इसका संज्ञान लिया जा सके।

समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार से भी अपेक्षित है कि अपने परिक्षेत्र की कारागारों के निरीक्षण के समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उपरोक्त प्रकिया का अनुपालन किया जा रहा है।

22/4/19
(चन्द्र प्रकाश)
अपर पुलिस महानिदेश/महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।